

परियोजना का नाम:-

जनपद अल्मोड़ा में कुनीगाड हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

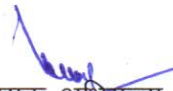

अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत



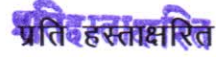
अधिषासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


पटवारी


तहसीलदार
चौखुटिया (अल्मोड़ा)


उपजिलाधिकारी
जनविभागाधिकारी
चौखुटिया (अल्मोड़ा)


प्रतिहस्ताक्षरित


जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

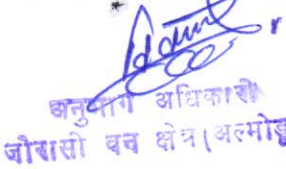
प्रति हस्ताक्षरित

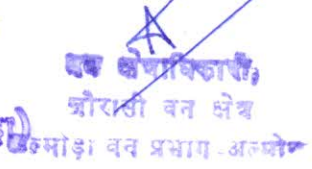
वन दरोगा

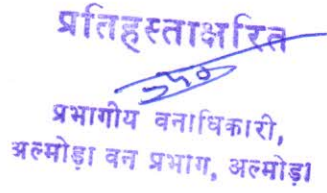
वन क्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी


वन प्रभाग अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)


वन क्षेत्राधिकारी,
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग-अल्मोड़ा


प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा